This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 17 नवम्बर, 2025 / 26 कार्तिक, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–02, 10 नवम्बर, 2025

संख्याः एफ0एफ0ई0–बी0–एफ0(14)–03 / 2025.––भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से

संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जाँच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि पर लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

वन परिक्षेत्र : बम्टा वन मण्डल : चौपाल तहसील : चौपाल जिला : शिमला

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	महाल / उप–महाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं
1.	59 / 2022	कुजवी	कुजवी	2 / 1, 5 / 1, 23 / 1, 106 / 1, 111 / 1, 113 / 1, 113 / 3, 116 / 1, 120 / 1, 133 / 1, 202 / 1, 204, 211 / 1, 239 / 1, 244 / 1, 245 / 1, 247 / 1, 255 / 1, 442 / 1, 446 / 1, 554 / 1, 641, 643 / 1, 689 / 1, 694 / 1, 695 / 1, 721 / 1, 757 / 1, 769 / 1, 772 / 1, 776 / 1 कित्ता–31	51–23–53	उत्तर– महाल डी0पी0एफ0 सून्नी पूर्व– महाल डी0पी0एफ0 कांगर दक्षिण– महाल अलाशना पश्चिम–महाल गोरली एवं महाल पुजारली
2.	60 / 2022	खफरौना	खफरौना	41 / 1, 48 / 1, 97 / 1, 169 / 1, 234 / 1, 307 / 1, 315 / 1, 476 / 1, 699 / 1, 703 / 1, 744 / 1, 816 / 1 , 823 / 1 कित्ता–13	100–05–09	उत्तर– महाल माटल पूर्व– महाल डी0पी0एफ0 चुड़था दक्षिण– महाल विजर एवं महाल कशाह पश्चिम–उप महाल माटल खास
3.	61 / 2022	रानवी	रानवी	2 / 1, 59 / 1, 117 / 1, 132 / 1, 133 / 1, 135 / 1, 284 / 1 , 290 / 1 कित्ता–8	42–56–75	उत्तर– महाल रूपाड़ी पूर्व – महाल डी0पी0एफ0 चीला दक्षिण– महाल डी0पी0एफ0 चीला पश्चिम– महाल डी0पी0एफ0 चीला
4.	62 / 2022	रूपाड़ी	रूपाड़ी	18 / 1, 20, 21, 22, 23 / 1, 24, 188, 189, 192, 251 / 1, 317 / 1, 357 / 1, 398 / 1 कित्ता–13	17–88–75	उत्तर– महाल रूपाड़ी पूर्व– महाल डी0पी0एफ बम्टा एवं महाल रानवी दक्षिण–महाल डी0पी0एफ0 बजरोठ पश्चिम–महाल बड़ौला

5.	63 / 2022	बजरोठ	बजरोठ एवं बड़ौला	379 / 1, 381 / 1, 385, 387 / 1, 424 / 1, 425 / 1, 476 / 1, 499 / 1, 500 / 1, 501 / 1, 504 / 1, 228, 229, 320 / 1 कित्ता—14	08—43—67	उत्तर— महाल बड़ौला पूर्व— महाल रूपाड़ी दक्षिण— महाल बड़ौला पश्चिम—महाल बड़ौला
6.	64 / 2022	जामन—प्रथम	हुड़ एवं डकोली	30 / 1, 34 / 1, 64 / 1, 65 / 1, 69 / 1, 72, 79 / 1, 236 / 1, 378 / 1, 414 / 1, 472 / 1, 480 / 1, 481 / 1 कित्ता—13	98—10—72	उत्तर— महाल डकौली पूर्व— महाल डी0पी0एफ जामन एवं महाल हुड़ दक्षिण— महाल बावी एवं महाल बेरग पश्चिम— महाल बेरग
7.	65 / 2022	अलाशना—प्रथम	अलाशना	10 / 1, 74 / 1, 104 / 1, 164 / 1, 165 / 1, 169 / 1, 545 / 1, 552 / 1 कित्ता—8	51—31—47	उत्तर— महाल गोरली पूर्व— महाल डी0पी0एफ0 कांगर दक्षिण— महाल अलाशना पश्चिम—महाल रियाणा
8.	66 / 2022	अलाशना—द्वितीय	अलाशना	271 / 1, 889 / 1, 891 / 1, 893 / 1, 1042 / 1, 1057 / 1, 1058 / 1, 1096 / 1, 1274 / 1, 1277 / 1 कित्ता— 10	23—59—48	उत्तर— महाल अलाशना पूर्व— महाल खरोग दक्षिण— महाल जायली एवं महाल डी0पी0एफ0 चुड़था पश्चिम—महाल मकड़ोग
9.	67 / 2022	शेईला—प्रथम	शेईला रेवटी	35 / 1, 105 / 1, 114 / 1, 299 / 1, 300 / 1, 31 / 1, 32 / 1, 33 / 1, 34 / 1, 45 / 1, 65 / 1, 66 / 1, 76 / 1, 89 / 1 / 1, 143 / 1, 155 / 1ण कित्ता—16	139—58—16	उत्तर— महाल सरांह पूर्व— महाल डी0पी0एफ0 चुन्जर दक्षिण— महाल डी0पी0एफ0 जामन पश्चिम— महाल डकौली
10.	68 / 2022	शेईला—द्वितीय	उप—महाल डकोली	420 / 1, 425 / 1, 433 / 1, 451 / 1, 457 / 1, 488 / 1, 510 / 1, 556 / 1, 570 / 1, 575 / 1, 576 , 579 कित्ता—12	34—21—75	उत्तर— महाल शेईला पूर्व— महाल रेवटी दक्षिण— महाल बेरग पश्चिम—महाल डकौली
11.	69 / 2022	कशाह—प्रथम	कशाह	8 / 1, 17 / 1, 45 / 1, 269, 270, 287 / 1, 288, 289, 291, 295, 299, 300 / 1, 424, 454, 470 / 1, 862 / 1, 955 / 1, 959, 962, 964, 968, 971 / 1 कित्ता—22	192—67—87	उत्तर— महाल डी0पी0एफ0 कशाह पूर्व— महाल डी0पी0एफ0 घुरला—प्रथम दक्षिण— महाल डी0पी0एफ0 कशाह—द्वितीय पश्चिम—महाल डी0पी0एफ0 खफरोना
12.	70 / 2022	कशाह—द्वितीय	उप म चंजालपुल	26 / 1, 115, 140 / 1, 178 / 1, 196 / 1, 221, 223 / 1, 278, 293 / 1, 296 / 1, 315 / 1, 325 / 1	41—61—95	उत्तर— महाल डी0पी0एफ0 कशाह—प्रथम पूर्व— महाल झीकनीपुल दक्षिण—उप—महाल

				किता– 12		चंजालपुल पश्चिम–महाल बिजर
13.	71 / 2022	घुरला–प्रथम	झीकनी पुल	104 / 1, 122 / 1, 125 / 1, 126, 128, 129, 142 / 1, 167 / 1, 167 / 6, 201 / 1, 221 / 1, 225 / 1, 252 / 1, 290 / 1 किता– 14	57–54–86	उत्तर– महाल कशाह पूर्व– महाल नार दक्षिण– महाल बटेवड़ी पश्चिम–महाल कुम्बड़ा
14.	72 / 2022	घुरला–द्वितीय	नार	1 / 1, 6, 9 / 1, 11, 12, 20 / 1, 35 / 1, 47 / 1, 47 / 1 साबिक, 74 / 1, 75 / 1, 349 / 1 किता–12	51–48–98	उत्तर– महाल घुरला पूर्व– महाल चड़ोली एवं महाल डी0पी0एफ0 घुरला–तृतीय दक्षिण– महाल नार पश्चिम–महाल झीकनी पुल एवं महाल डी0पी0एफ0 घुरला–प्रथम
15.	73 / 2022	घुरला–तृतीय	चड़ोली उप–महाल टापरी	224 / 1, 226 / 1, 259 / 1, 275 / 1, 285 / 1, 329 / 1 161 / 1, 165 / 1 , 211 / 1 किता–9	21–12–40	उत्तर– महाल चड़ोली पूर्व– उप महाल बजरोठ एवं उप– महाल टापरी दक्षिण– महाल चड़ोली पश्चिम–महाल नार
16.	74 / 2022	बगाह	बगाह	8, 112 / 1 , 445 / 1 किता–3	87–61–43	उत्तर– महाल डी0पी0एफ0 शंगड़ोली पूर्व– महाल शंगड़ोली दक्षिण– महाल शंगड़ोली पश्चिम–महाल डी0पी0एफ0 बम्टा

आदेश द्वारा,

कमलेश कुमार पन्त,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

———————

[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-03/2025, dated 10-11- 2025 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the10th November, 2025

No. FFE-B-F(14)-03/2025.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the private persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land as shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid,* the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as “protected forests” under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid.*

SCHEDULE

Range : Bamta Forest Division : Chopal Tehsil : Chopal Distt : Shimla

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal/ Up-Muhal	Khasra No.	Area in Hectt.	Cardinal Boundaries
1.	59/2022	Kujvi	Kujvi	2/1, 5/1, 23/1, 106/1, 111/1, 113/1, 113/3, 116/1, 120/1, 133/1, 202/1, 204, 211/1, 239/1, 244/1, 245/1, 247/1, 255/1, 442/1, 446/1, 554/1, 641, 643/1, 689/1, 694/1, 695/1, 721/1, 757/1, 769/1, 772/1 , 776/1 Kitta-31	51-23-53	North- Muhal D.P.F. Sunni East- Muhal D.P.F. Kangar South- Muhal Alashna West- Muhal Gorli & Muhal Pujarli
2.	60/2022	Khafrouna	Khafrouna	41/1, 48/1, 97/1, 169/1, 234/1, 307/1, 315/1, 476/1, 699/1, 703/1, 744/1, 816/1, 823/1 Kitta-13	100-05-09	North- Muhal Matal East- Muhal D.P.F. Chudtha South- Muhal Vijar & Muhal Kashah West- Up Muhal Matal Khas
3.	61/2022	Ranvi	Ranvi	2/1, 59/1, 117/1, 132/1, 133/1, 135/1, 284/1, 290/1 Kitta-8	42-56-75	North- Muhal Rupari East- Muhal D.P.F. Chilla South- Muhal D.P.F. Chilla West- Muhal D.P.F. Chilla
4.	62/2022	Rupari	Rupari	18/1, 20, 21, 22, 23/1, 24, 188, 189, 192, 251/1, 317/1, 357/1, 398/1 Kitta- 13	17-88-75	North:- Muhal Rupari East- Muhal D.P.F. Bamta, Muhal Ranvi South- Muhal D.P.F. Bajroth West- Muhal Badoula
5.	63/2022	Bajroth	Bajroth Badoula	379/1, 381/1, 385, 387/1, 424/1, 425/1, 476/1, 499/1, 500/1, 501/1, 504/1, 228, 229 , 320/1 Kitta-14	08-43-67	North- Muhal Badoula East- Muhal Rupari South- Muhal Badoula West- Muhal Badoula

6.	64/2022	Jaman-Ist	Hood Dakouli	30/1, 34/1, 64/1, 65/1, 69/1, 72, 79/1, 236/1, 378/1, 414/1, 472/1, 480/1 , 481/1 Kitta-13	98-10-72	North- Muhal Dakoli East- Muhal D.P.F. Jaman & Muhal Hood South- Muhal Baavi & Muhal Berag West- Muhal Berag
7.	65/2022	Alashna-Ist	Alashna	10/1, 74/1, 104/1, 164/1, 165/1, 169/1, 545/1, 552/1 Kitta-8	51-31-47	North- Muhal Gorli East- Muhal D.P.F. Kangar South- Muhal Alashna West- Muhal Riyana
8.	66/2022	Alashna-IInd	Alashna	271/1, 889/1, 891/1, 893/1, 1042/1, 1057/1, 1058/1, 1096/1, 1274/1, 1277/1 Kitta-10	23-59-48	North- Muhal Alashna East- Muhal Kharog South- Muhal Jayali & Muhal D.P.F. Chudtha West- Muhal Makdog
9.	67/2022	Sheila-Ist	Sheila Revati	35/1, 105/1, 114/1, 299/1, 300/1, 31/1, 32/1, 33/1, 34/1, 45/1, 65/1, 66/1, 76/1, 89/1/1, 143/1 , 155/1 Kitta- 16	139-58-16	North- Muhal Saranh East- Muhal D.P.F. Chunjer South- Muhal D.P.F. Jaman West- Muhal Dakoli
10.	68/2022	Sheila-IInd	Up Muahal Dakoli	420/1, 425/1, 433/1, 451/1, 457/1, 488/1, 510/1, 556/1, 570/1, 575/1, 576, 579 Kitta-12	34-21-75	North- Muhal Sheila East- Muhal Revati South- Muhal Berag West- Muhal Dakoli
11.	69/2022	Kashah-Ist	Kashah	8/1, 17/1, 45/1, 269, 270, 287/1, 288, 289, 291, 295, 299, 300/1, 424, 454, 470/1, 862/1, 955/1, 959, 962, 964, 968 , 971/1 Kitta-22	192-67-87	North- Muhal D.P.F. Kashah East- Muhal D.P.F. Ghurla – 1st South- Muhal D.P.F. Kashah- IInd West- Muhal D.P.F. Khafrouna
12.	70/2022	Kashah-IInd	Up-Muhal Chanjalpul	26/1, 115, 140/1, 178/1, 196/1, 221, 223/1, 278, 293/1, 296/1, 315/1, 325/1 Kitta-12	41-61-95	North- Muhal D.P.F. Kashah - 1st East- Muhal Jhiknipul South- Up Muhal Chanjalpul West- Muhal Bijjar
13.	71/2022	Ghurla-Ist	Jhiknipul	104/1, 122/1, 125/1, 126, 128, 129, 142/1, 167/1, 167/6, 201/1, 221/1, 225/1, 252/1, 290/1 Kitta-14	57-54-86	North- Muhal Kashah East- Muhal Naar South- Muhal Batewadi West- Muhal Kumbda
14.	72/2022	Ghurla-IInd	Naar	1/1, 6, 9/1, 11, 12, 20/1, 35/1, 47/1, 47/1 Sabik, 74/1, 75/1, 349/1 Kitta-12	51-48-98	North- Muhal Ghurla East- Muhal Charoli & Muhal D.P.F. Ghurla IIIrd South- Muhal Naar West- Muhal Jhiknipul & Muhal D.P.F. Ghurla Ist

15.	73/2022	Ghurla-IIIrd	Chadoli Up Muhal Tapri	224/1, 226/1, 259/1, 275/1, 285/1, 329/1 161/1, 165/1 , 211/1 Kitta-9	21-12-40	North- Muhal Chadoli East- Up Muhal Bajroth & UP Muhal Tapri South- Muhal Chadoli West- Muhal Naar
16	74/2022	Bagah	Bagah	8, 112/1 , 445/1 Kitta-3	87-61-43	North- Muhal D.P.F. Shangdoli East- Muhal Shangdoli South- Muhal Shangdoli West- Muhal D.P.F. Bamta

By order,

KAMLESH KUMAR PANT,
Addl. Chief Secretary (Forests).

—————————

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–02, 10 नवम्बर, 2025

संख्याः एफ0एफ0ई0–बी0–एफ0(14)–04 / 2025.——भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जाँच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि पर लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

वन परिक्षेत्र : सरांह वन मण्डल : चौपाल तहसीलः चौपाल जिला : शिमला

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	महाल / उप महाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं
1.	72 / 2020	शैली–प्रथम	भोट	264 / 1	09–01–15	उत्तर– महाल भोट पूर्व– महाल भोट दक्षिण– महाल कटोंट पश्चिम – महाल भोट

2.	73/2020	शैली –द्वितीय	भोट	281/1, 281/2, 284/1, 307/1 कित्ता–4	14–33–40	उत्तर– महाल भोट पूर्व– महाल डी0पी0एफ0 भोट दक्षिण– महाल कटोंट पश्चिम– महाल भोट
3.	74/2020	रच्छाड़ी	तुईल	418/1, 418/3, 419/1, 419/2 कित्ता–4	11–45–12	उत्तर– महाल तुईल पूर्व– महाल तुईल दक्षिण– महाल तुईल पश्चिम – महाल तुईल
4.	75/2020	क्यारी–प्रथम	उप–महाल क्यारी	197/1, 475/1, 477/1, 478/1/1, 499/2, 773/1, 776/1, 789/1, 790, 792 कित्ता–10	13–88–87	उत्तर– महाल डिपी0एफ0 शिलान एवं महाल क्यारी पूर्व– महाल डिमो दक्षिण– महाल डी0पी0एफ0 पाशन एवं उप महाल गोरवा पश्चिम –महाल क्यारी
5.	76/2020	क्यारी–द्वितीय	उप–महाल क्यारी	1/1, 2/1, 64/1, 78/1, 81/1, 247/1 कित्ता–6	07–68–89	उत्तर– महाल डी0पी0एफ0 शिलान पूर्व– महाल क्यारी दक्षिण– महाल डी0पी0एफ0 क्यारी– प्रथम पश्चिम –महाल कुलाण्डली एवं महाल डी0पी0एफ0 रावग
6.	79/2020	भैहरोग–चतुर्थ	उप–महाल चौरूवाधार	89, 90, 91, 92, 93, 94 कित्ता–6	12–78–12	उत्तर– उप महाल चौरूवाधार पूर्व– महाल जोड़ना दक्षिण– महाल बाहल खास पश्चिम – महाल बरकोली एवं महाल कोहराला
7.	80/2020	नावणी–अष्टम	बरकोली	1, 446, 462, 502 कित्ता–4	50–57–85	उत्तर– महाल नावणी पूर्व– महाल बरकोली दक्षिण– महाल डी0पी0एफ0 नावणी पश्चिम –महाल डी0पी0एफ0 नावणी

आदेश द्वारा,

कमलेश कुमार पन्त,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

———————

[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-04/2025, dated 10-11-2025 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10th November, 2025

No. FFE-B-F(14)-04/2025.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the private persons in or over the forest land or waste land specified in the

SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land as shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid,* the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act *ibid.*

SCHEDULE

Range : Sarahan Division: Chopal Tehsil: Chopal District: Shimla

Sl. No.	File No	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal / Up Muhal	Khasra Number(s)	Area in Hectare(s)	Cardinal Boundaries
1.	72/2020	Shaili-Ist	Bhot	264/1	09-01-15	North - Muhal Bhot East - Muhal Bhot South - Muhal Katont West - Muhal Bhot
2.	73/2020	Shaili-IInd	Bhot	281/1, 281/2, 284/1 , 307/1 Kitta-4	14-33-40	North - Muhal Bhot East - Muhal D.P.F. Bhot South - Muhal Katont West - Muhal Bhot
3.	74/2020	Rachchhadi	Tuil	418/1, 418/3, 419/1, 419/2 Kitta-4	11-45-12	North - Muhal Tuil East - Muhal Tuil South - Muhal Tuil West - Muhal Tuil
4.	75/2020	Kyari-Ist	Up-Muhal Kyari	197/1, 475/1, 477/1, 478/1/1, 499/2, 773/1, 776/1, 789/1, 790 , 792 Kitta -10	13-88-87	North - Muhal DPF Shilan & Muhal Kyari East - Muhal Dimo South - Muhal D.P.F. Pashan & Up-Muhal Gorva West - Muhal Kyari
5.	76/2020	Kyari – IInd	Up-Muhal Kyari	1/1, 2/1, 64/1, 78/1, 81/1, 247/1 Kitta-6	07-68-89	North - Muhal D.P.F. Shilan East - Muhal Kyari South - Muhal D.P.F. Kyari-1st West - Muhal Kulandli & Muhal D.P.F. Ravag

6.	79/2020	Bhaihrog-IVth	Up-Muhal Chouruwa-dhar	89, 90, 91, 92, 93 , 94 Kitta-6	12-78-12	North - Up-Muhal Chouruwadhar East - Muhal Jodna South - Muhal Bahal Khaas West - Muhal Barkoli & Muhal Kohrala
7.	80/2020	Navani –VIIIth	Barkoli	1, 446, 462, 502 Kitta-4	50-57-85	North - Muhal Navani East - Muhal Barkoli South - Muhal D.P.F. Navani West - Muhal D.P.F. Navani

By order,

KAMLESH KUMAR PANT
Addl. Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–02, 10 नवम्बर, 2025

संख्याः एफ0एफ0ई0–बी0–एफ0(14)–05/2025.——भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जाँच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि पर लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

वन परिक्षेत्र : अर्की   वन मण्डल : कुनिहार   तहसील : अर्की   जिला : सोलन

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	महाल/उप महाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं
1.	14/2020	दिदू	दिदू	565/1, 598/1, 599, 600/1, 601, 602, 603/1 कित्ता– 7	10–16–30	उत्तर–महाल दिदू पूर्व– महाल बागा दक्षिण–महाल बखालग पश्चिम–महाल दिदू एवं महाल जाबलू

2.	15 / 2020	चिकनहाड़ा	चिकनहाड़ा	1 / 1 , 126 / 1 कित्ता – 2	05–12–39	उत्तर– महाल कश्याट पूर्व– महाल डी0पी0एफ0 शरौन एवं महाल चिकनहाड़ा दक्षिण– महाल बजैरी पश्चिम– महाल कश्याट
3.	16 / 2020	चथड़याणा	चथड़याणा	1 / 1, 1 / 3, 1 / 5, 39 / 1, 39 / 3, 39 / 4, 95 / 1 / 1 कित्ता – 7	05–96–73	उत्तर– महाल बाहवां पूर्व– महाल डी0पी0एफ0 शरौन दक्षिण– महाल चथड़याणा पश्चिम– महाल चथड़याणा
4.	17 / 2020	डाडल	डाडल	337, 347 / 1, 349 / 2, 351 / 1, 352 / 2, 371 / 1 कित्ता –6	12–02–75	उत्तर– महाल कोटलू पूर्व– महाल डाडल दक्षिण– महाल डाडल पश्चिम– महाल डाडल
5.	18 / 2020	कोटीकनवाल	कोटीकनवाल	345 / 1, 348 / 1, 349 / 1, 396 / 1, 425 / 1, 426 कित्ता – 6	05–63–48	उत्तर– महाल कोटीकनवाल पूर्व– महाल बगौरा दक्षिण– महाल पौड़ उपरली एवं महाल पौड़ निचली पश्चिम–महाल कोटीकनवाल
6.	19 / 2020	शिल्डू	शिल्डू	365, 366, 367 / 1, 369, 377 / 1, 377 / 3, 377 / 4, 377 / 6, 420 / 1, 423 / 1, 425 / 1, 425 / 4 कित्ता – 12	07–13–78	उत्तर– महाल परोई पूर्व– महाल परोई एवं महाल गलोग दक्षिण– महाल गलोग पश्चिम–महाल शिल्डू
7.	20 / 2020	जाबल	जाबल	330 / 1, 336 / 1, 387 / 1, 390, 391, 550 / 1, 551 / 1, 551 / 4 कित्ता – 8	09–14–94	उत्तर– महाल जाबल पूर्व– महाल जाबल दक्षिण– महाल जाबल पश्चिम– महाल कोटीकनवाल
8.	21 / 2020	चईयां	चईयां	267 / 1, 268 / 1, 337 / 1, 337 / 3, 338, 740 / 1, 762 / 1, 819 / 1, 823, 824 / 1, 825, 826 / 1 कित्ता –12	23–33–15	उत्तर– महाल गौरी एवं महाल पलकड़ी पूर्व– महाल परोई दक्षिण– महाल चईयां पश्चिम– महाल चईयां
9.	22 / 2020	धरैल	धरैल	1, 4 / 1, 61 / 1, 61 / 3, 320 / 1, 320 / 3, 320 / 6, 339 / 1, 585 / 1 कित्ता – 9	11–83–83	उत्तर– महाल पलानिया पूर्व– महाल धरैल दक्षिण– महाल धरैल पश्चिम– महाल धरैल एवं महाल रूपे की वैहड़
10.	23 / 2020	परोई–प्रथम	परोई	1 / 1	05–15–06	उत्तर– महाल पलकड़ी पूर्व– महाल परोई दक्षिण– महाल चईयां पश्चिम–महाल चईयां

11.	24/2020	परोई–द्वितीय	परोई	446/1, 448/1, 448/4, 504/1, 507/1, 510/1 किता – 6	09–00–71	उत्तर– महाल परोई पूर्व– महाल परोई दक्षिण– महाल शिल्डू पश्चिम– महाल परोई
12.	25/2020	कड़याह	कड़याह	62/1, 62/4, 108/1, 108/4, 108/5, 121/1, 121/4 किता – 7	06–09–29	उत्तर– महाल कडयाह पूर्व– महाल कडयाह दक्षिण– महाल कडयाह पश्चिम–महाल कडयाह

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
कमलेश कुमार पन्त,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

———————

[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-05/2025, dated 10-11-2025 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10th November, 2025

No. FFE-B-F(14)-05/2025.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE inserted to this notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act *ibid,* the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as “protected forests” under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act *ibid.*

SCHEDULE

Range: Arki Division: Kunihar, Tehsil: Arki Distt: Solan

Sl. No.	File No.	Name of forest required to be converted into Demarcated protected forests	Name of Muhal / Up-Muhal	Khasra No.	Area in Hectt.	Cardinal Boundaries
1.	14/2020	Didu	Didu	565/1, 598/1, 599, 600/1, 601, 602, 603/1 Kitta-7	10-16-30	North- Muhal Didu East- Muhal Baga South- Muhal Bakhalag West- Muhal Didu & Muhal Jablu
2.	15/2020	Chikanhara	Chikanhara	1/1, 126/1 Kitta-2	05-12-39	North- Muhal Kashyat East- Muhal DPF Shroun & Muhal Chikanhara South- Muhal Bajairi West- Muhal Kashyat
3.	16/2020	Chathadyana	Chathadyana	1/1, 1/3, 1/5, 39/1, 39/3, 39/4, 95/1/1 Kitta-7	05-96-73	North- Muhal Bahawan East- Muhal DPF Sharoun South- Muhal Chathadyana West- Muhal Chathadyana
4.	17/2020	Dadal	Dadal	337, 347/1, 349/2, 351/1, 352/2, 371/1 Kitta-6	12-02-75	North- Muhal Kotlu East- Muhal Dadal South- Muhal Dadal West- Muhal Dadal
5.	18/2020	Kotikanwal	Kotikanwal	345/1, 348/1, 349/1, 396/1, 425/1, 426 Kitta-6	05-63-48	North- Muhal Kotikanwal East- Muhal Bagoura South- Muhal Poud Upperli & Muhal Poud Nichali West- Muhal Kotikanwal
6.	19/2020	Shildu	Shildu	365, 366, 367/1, 369, 377/1, 377/3, 377/4, 377/6, 420/1, 423/1, 425/1, 425/4 Kitta-12	07-13-78	North- Muhal Paroi East- Muhal Paroi & Muhal Galog South- Muhal Galog West- Muhal Shildu
7.	20/2020	Jabbal	Jabbal	330/1, 336/1, 387/1, 390, 391, 550/1, 551/1, 551/4 Kitta-8	09-14-94	North- Muhal Jabbal East- Muhal Jabbal South- Muhal Jabbal West- Muhal Kotikanwal
8.	21/2020	Chaiyan	Chaiyan	267/1, 268/1, 337/1, 337/3,	23-33-15	North- Muhal Gouri & Muhal Palkadi

				338, 740/1, 762/1, 819/1, 823, 824/1, 825, 826/1 Kitta- 12		East- Muhal Paroi South- Muhal Chaiyan West- Muhal Chaiyan
9.	22/2020	Dharail	Dharail	1, 4/1, 61/1, 61/3, 320/1, 320/3, 320/6, 339/1 , 585/1 Kitta-9	11-83-83	North- Muhal Palaniya East- Muhal Dharail South- Muhal Dharail West- Muhal Dharail & Muhal Rupe ki Vehad
10.	23/2020	Paroi-I[st]	Paroi	1/1	05-15-06	North- Muhal Palkari East- Muhal Paroi South- Muhal Chaiyan West- Muhal Chaiyan
11.	24/2020	Paroi-II[nd]	Paroi	446/1, 448/1, 448/4, 504/1, 507/1, 510/1 Kitta-6	09-00-71	North- Muhal Paroi East- Muhal Paroi South- Muhal Shildu West- Muhal Paroi
12.	25/2020	Kadyah	Kadyah	62/1, 62/4, 108/1, 108/4, 108/5, 121/1, 121/4 Kitta-7	06-09-29	North- Muhal Kadyah East- Muhal Kadyah South- Muhal Kadyah West- Muhal Kadyah

By order,
Sd/-
KAMLESH KUMAR PANT
Addl. Chief Secretary (Forests).

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th September, 2025

No. FFE-B-E(3)-24/2021.—In pursuance of the Hon'ble Supreme Court of India Order/Judgment dated 15-05-2025 in WP(C) No.202 of 1995 titled as T. N. Godaverman Thirumulpad *vs* Union of India and ors., the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Special Team, comprising of following members, for the purpose of examining whether any portion of Reserved Forest land under the possession of the Revenue Department has been allotted to any private individual or institutions for any purpose other than forestry:—

1. Additional Chief Secretary (Forests), to the Government of Himachal Pradesh. ... *Chairman*

2. Additional Chief Secretary (Revenue) , to the Government of Himachal Pradesh . ... *Member*

3.	Principal Chief Conservator, of Forests (HoFF) Himachal Pradesh.	...	*Member*
4.	Principal Chief, Conservator of Forests (Wildlife), Himachal Pradesh.	...	*Member*
5.	Director, Land Record, Himachal Pradesh.	...	*Member*
6.	Addl. Pr. Chief Conservator, of Forests (Mgt.) o/o PCCF (HoFF), Himachal Pradesh.	...	*Member-Secretary*
7.	Ld. District Attorney (Forests) o/o PCCF (HoFF), Himachal Pradesh.	...	*Member*

Terms of Reference (ToR) of the Special Team shall be as follows:

1. The Special Team shall review the progress of Special Investigation Teams (district wise) constituted for examination and taking further action in the cases of reserved forest land in possession of the Revenue Department allotted to any private individuals/institutions for any purpose other than the forestry purpose, on regular basis, preferably on monthly basis.

2. To examine and consider the recommendations of the Special Investigation Teams in the cases in which taking back the possession of the land would not be in the larger public interest.

3. To prepare and send progress report(s)/compliance report to the Central Empowered Committee (CEC).

4. To issue necessary instructions/directions to the Special Investigation Teams and other concerned authorities/departments for handing over the reserved forest land parcels in possession of Revenue Department or any individual/institution back to the Forest Department or settle the cases in which taking back the possession of the land would not be in the larger public interest.

5. To ensure completion of whole process of taking over the reserved forest land parcel or settle the cases, within the prescribed limit *i.e.* upto 14-05-2026.

By order,

Chief Secretary.

____

FORESTS DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 25th September, 2025

No. FFE-B-E (3)-24/2021.—In this Department's notification of even number dated 7th July, 2025, the phrase "*Special Investigation Team (SIT) for the purpose of examining as to whether any of the **Forest Land** in possession of the Revenue Department*" mentioned in Para-1, may be read as "*Special Investigation Teams (SIT) for the purpose of examining as to whether any of the **reserved Forest Land** in possession of the Revenue Department*".

By order,

Chief Secretary.

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण। तारीख पेशी : 22–11–2025

संजू कुमार पुत्र पूरण बहादुर, निवासी गांव कटयाड, डाकघर फरेड, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.——प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म / मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थी संजू कुमार पुत्र पूरण बहादुर, निवासी गांव कटयाड, डाकघर फरेड, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि मेरा जन्म कटयाड, डाकघर फरेड में दिनांक 15–05–1989 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश ग्राम पंचायत फरेड के पंचायत अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है। अतः मेरे जन्म पंजीकरण करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार / मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के जन्म पंजीकरण को ग्राम पंचायत फरेड के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22–11–2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थी संजू कुमार पुत्र पूरण बहादुर की जन्म तिथि 15–05–1989 के आदेश ग्राम पंचायत फरेड के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 28–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती। तारीख पेशी : 27–11–2025

अमीं चन्द पुत्र पंछी राम पुत्र बाला, निवासी फस्टा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.——नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थी अमीं चन्द पुत्र पंछी राम पुत्र बाला, निवासी फस्टा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र व अन्य दस्तावेज आदि प्रस्तुत किए हैं कि प्रार्थी का सही नाम अमीं चन्द पुत्र पंछी राम है। जबकि महाल सिहोटू बूहला के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम सहवन मान चन्द पुत्र पंछी राम दर्ज कागजात माल है जोकि गलत है। अतः महाल सिहोटू बूहला के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती की जाकर मान चन्द उपनाम अमीं चन्द पुत्र पंछी राम दर्ज कागजात माल किया जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27–11–2025 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण। तारीख पेशी : 20–11–2025

सन्तोष कुमारी पुत्री बैनी प्रसाद, निवासी गांव व डाकघर कुरल हाल पत्नी स्व0 मनजीत कुमार, निवासी गांव ठिरक, डाकघर काहनपट्ट, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.——प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थिया सन्तोष कुमारी पुत्री बैनी प्रसाद, निवासी गांव व डाकघर कुरल हाल पत्नी स्व0 मनजीत कुमार, निवासी गांव ठिरक, डाकघर काहनपटट, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि मेरा जन्म गांव कुरल में दिनांक 10–07–1978 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश ग्राम पंचायत कुरल के पंचायत अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है। अतः मेरे जन्म पंजीकरण करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार / मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण को ग्राम पंचायत कुरल के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20–11–2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थिया सन्तोष कुमारी पुत्र बैनी प्रसाद की जन्म तिथि 10–07–1978 के आदेश ग्राम पंचायत कुरल के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 28–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती। तारीख पेशी : 22–11–2025

नसीब कुमार पुत्र लोहलू राम, निवासी वार्ड नं0 2, धोरन खास, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.——नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थी नसीब कुमार पुत्र लोहलू राम, निवासी वार्ड नं0 2, धोरन खास, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र व अन्य दस्तावेज आदि प्रस्तुत किए हैं कि प्रार्थी का सही नाम नसीव कुमार पुत्र लोहलू राम है। जबकि महाल धोरन खास के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम सहवन सीता राम पुत्र लोहलू राम दर्ज कागजात माल है जोकि गलत है। अतः महाल धोरन खास के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती की जाकर सीता राम उपनाम नसीव कुमार पुत्र लोहलू राम दर्ज कागजात माल किया जावे।

अतः इस राजपत्र इश्तहार / मुश्त्री मुनादी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22–11–2025 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27—10—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 17/ना/2025 किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 26—12—2025

अनीता देवी पुत्री श्री मसेडू राम पुत्र सुजू राम, गांव जरयाल लाहड़, डाकघर हरोट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0। . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

विषय.—— इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

इश्तहार मुश्त्री मुनादी।

अनीता देवी पुत्री श्री मसेडू राम पुत्र सुजू राम, गांव जरयाल लाहड़, डाकघर हरोट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अधिवक्ता श्री अश्वनी कटोच के माध्यम से पेश होकर प्रार्थना—पत्र हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 23—08—1974 को गांव जरयाल लाहड़, डाकघर हरोट, ग्राम पंचायत हरोट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है, इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ—पत्र भी संलग्न किया है, परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया के घर वालों ने जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत हरोट के अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत हरोट को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त अनीता देवी पुत्री श्री मसेडू राम पुत्र सुजू राम, गांव जरयाल लाहड़, डाकघर हरोट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की जन्म तिथि 23—08—1974 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26—12—2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव हरोट को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 03—11—2025 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० : किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी : 08—12—2025

सुजाद सिंह पुत्र श्री वेलू राम, निवासी गांव व डाकघर महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व उसके पिता का नाम दुरुस्त करके शहजादा सिंह पुत्र वेलू पुत्र श्री दुनियां के बजाए सुजाद सिंह पुत्र श्री वेलू राम पुत्र श्री दुनियां दर्ज करने बारे।

सुजाद सिंह पुत्र श्री वेलू राम, निवासी गांव व डाकघर महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने अदालत हजा में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि वह महाल पानसुआ व कुंसल वुहली, तहसील बैजनाथ में भू—स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व उसके पिता का नाम शहजादा सिंह पुत्र वेलू पुत्र श्री दुनियां दर्ज है जबकि प्रार्थी व उसके पिता का असल नाम सुजाद सिंह पुत्र श्री वेलू राम पुत्र श्री दुनियां है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके सुजाद सिंह पुत्र श्री वेलू राम पुत्र श्री दुनियां किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08—12—2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना—पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29—10—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

————————

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० : किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी : 08—12—2025

शेर सिंह पुत्र श्री शंकर दास, निवासी गांव व डाकघर कुदैल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त करके शंकरू पुत्र राम दयाल के बजाए शंकर दास पुत्र राम दयाल दर्ज करने बारे।

शेर सिंह पुत्र श्री शंकर दास, निवासी गांव व डाकघर कुदैल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने अदालत हजा में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि वह महाल मलेहड़, तहसील बैजनाथ में भू—स्वामी है

तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम शंकरू पुत्र राम दयाल दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का असल नाम शंकर दास पुत्र श्री राम दयाल है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके शंकर दास पुत्र श्री राम दयाल किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08—12—2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना—पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29—10—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

——————

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रतिवादीगण :

1. श्रीमती योगिता पत्नी स्व0 श्री अश्वनी कुमार, 2. श्रीमती रेनू पुत्री नन्द किशोर, 3. श्रीमती अनू पुत्री स्वतन्त्रता डोगरा, 4. श्रीमती सुनीता पुत्री स्वतन्त्रता डोगरा, 5. श्रीमती प्रीती पुत्री स्वतन्त्रता डोगरा, 6. श्री पुनीत कुमार पुत्र स्वतन्त्रता।

बनाम

आम जनता

विषय.——इन्तकाल नं0 471 महाल बाडी खास, पटवार वृत्त धमेटा व इन्तकाल नं0 320, महाल अनोह धमेटा, पटवार वृत्त दियाल तस्दीक करने बारे।

उक्त वारसान हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 के तहत बने हैं जिन्हें इत्तलाह साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। अतः इन उपरोक्त वारसान को इस इश्तहार प्रकाशन करवा कर सूचित किया जाता है कि आप उपरोक्त इन्तकाल बारे दिनांक 29—11—2025 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रखें। अन्यथा एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(दीपक शर्मा),
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

——————

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

दर्शन सिंह पुत्र कर्म चन्द, निवासी गांव जखाडा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जखाडा में मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

सपना देवी पुत्री रतन सिंह, निवासी गांव भाटी मिन्हासा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना–पत्र बाबत ग्राम पंचायत जखाडा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपने पिता कर्म चन्द की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसके पिता की मृत्यु दिनांक 15–05–1984 को हुई थी, परन्तु ग्राम पंचायत जखाडा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में मृत्यु तिथि नियमानुसार समय पर पंजीकृत नहीं करवाई गई। इसलिए अब ग्राम पंचायत जखाडा की मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के पिता की मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27–11–2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी के पिता की मृत्यु पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 30–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

वचनो देवी पुत्री मेहर सिंह, निवासी गांव नंगाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नंगाल में जन्म पंजीकरण रजिस्टर करने बारे।

वचनो देवी पुत्री मेहर सिंह, निवासी गांव नंगाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना–पत्र बाबत ग्राम पंचायत नंगाल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 01–01–1967 को हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत नंगाल के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म तिथि नियमानुसार समय पर पंजीकृत नहीं करवाई गई। इसलिए अब ग्राम पंचायत नंगाल को जन्म पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया उक्त के नाम व जन्म तिथि पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27–11–2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश

करें। अन्यथा प्रार्थिया का नाम पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 30—10—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :—

नसीरा बीबी पत्नी मुहम्मद हुसैन, निवासी गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना—पत्र ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

प्रार्थिया नसीरा बीबी पत्नी मुहम्मद हुसैन, निवासी गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र, District Registrar (Birth & Death)-*cum*-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 05—04—1977 को गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 06—12—2025 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 06—11—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :—

अफजल मुहम्मद पुत्र युसुफ, निवासी गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ·· प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना–पत्र ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

अफजल मुहम्मद पुत्र युसुफ, निवासी गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र, District Registrar (Birth & Death)-*cum*-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 07–03–1975 को गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22–11–2025 को मुकरर्र तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 23–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

——————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :–

मुहम्मद अली पुत्र अब्दुल गफुर, निवासी गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ·· प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ·· प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना–पत्र ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

मुहम्मद अली पुत्र अब्दुल गफुर, निवासी गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र, District Registrar (Birth & Death)-*cum*-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 01–06–1964 को गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22–11–2025 को मुकरर्र तारीख पर

बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 23—10—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

——————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :—

मुहम्मद अली पुत्र शरीफ मुहम्मद, निवासी गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना—पत्र ग्राम पंचायत महादेव, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

मुहम्मद अली पुत्र शरीफ मुहम्मद, निवासी गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र, District Registrar (Birth & Death)-*cum*-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 12—12—1957 को गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत महादेव, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत महादेव, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 28—11—2025 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 29—10—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

——————

ब अदालत श्री प्रेम सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप—तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)

श्रीमती वती देवी पुत्री बद्री दत, निवासी गांव त्यावल, डाकघर ज्यूरी, उप—तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0 . . वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.——राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्त करने बारे प्रार्थना—पत्र।

श्रीमती वती देवी पुत्री बद्री दत, निवासी गांव त्यावल, डाकघर ज्यूरी, उप—तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0 ने इस कार्यालय में आवेदन—पत्र व ब्यान हल्फी दिया है कि प्रार्थिया का अपना नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त त्यावल के महाल त्यावल में जालपा देवी दर्ज है, जोकि गलत है क्योंकि जालपा प्रार्थिया का उपनाम है। नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत त्यावल, राशन कार्ड, आधार कार्ड में वती देवी है तथा आवेदन किया है कि प्रार्थिया का अपना नाम पटवार वृत्त त्यावल के महाल त्यावल के राजस्व अभिलेख में जालपा देवी पुत्री बदरी दत के स्थान पर वती देवी पुत्री बदरी दत दर्ज करने के आदेश किये जायें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में वती देवी पुत्री बदरी दत दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25—11—2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 01—11—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
(प्रेम सिंह),
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।

——————

ब अदालत श्री प्रेम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 120 / 2025 तारीख दायर : 29—10—2025 अगली सुनवाई : 25—11—2025

श्रीमती रामकलू पुत्री श्री सियारकू राम, निवासी गांव बठारा, डाकघर शाहधार, उप—तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0 प्र0 .. वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.——प्रार्थना—पत्र बाबत ग्राम पंचायत सराहन में जन्म तिथि पंजीकरण बारे।

श्रीमती रामकलू पुत्री श्री सियारकू राम, निवासी गांव बठारा, डाकघर शाहधार हालाबाद पत्नी श्री लोभी राम, निवासी गांव कोशगर, डाकघर मझेवली, जिला शिमला, हि0प्र0 ने इस कार्यालय में अपनी जन्म तिथि पंजीकरण ग्राम पंचायत सराहन में दर्ज करवाने बारे आवेदन—पत्र व ब्यान हल्फी दिया है। प्रार्थिया ने आवेदन किया कि अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण पंचायत अभिलेख सराहन में दर्ज न हो सका। प्रार्थिया की जन्म तिथि निम्न है:——

क्रम सं0	प्रार्थिया का नाम	तारीख जन्म
1.	श्रीमती रामकलू पुत्री सियारकू राम	01—01—1964

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अभिलेख में प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25—11—2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 06—11—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / —
(प्रेम सिंह),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।

——————

In the Court of Shri Chand Ram Kashyap, Executive Magistrate-cum-**Naib Tehsildar Shimla (R), District Shimla (H.P.)**

Smt. Reena d/o Sh. Puran Chand, resident of Village & Post Office Gumma, Tehsil Shimla Rural, District Shimla, H.P.

Versus

General Public . . *Respondent.*

Whereas, Smt. Reena d/o Sh. Puran Chand, resident of Village & Post Office Gumma, Tehsil Shimla Rural, District Shimla, H.P. has filed an application alongwith affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of herself Smt. Reena d/o Sh. Puran Chand, resident of Village & Post Office Gumma, Tehsil Shimla Rural, District Shimla, Himachal Pradesh, in the record of Secy. Birth and Death, Gram Panchayat Chamyana, Shimla.

Sl. No.	Name of the family members	Relation with applicant	Date of Birth
1.	Reena	Self	11-03-1987

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the record of Registrar Birth & Death of Secy., of Gram Chamyana, Shimla, H.P. may file their claims/objections on or before one month of Publication of this notice in Government Gazette in this Court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 06-10-2025 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-
Executive Magistrate-cum-*Naib Tehsildar,*
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

In the Court of Shri Manjeet Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla (H.P.)

Sh. Pawan Kumar s/o Sh. Sadhu Ram, r/o Village Nerti, P.O. Okhroo, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, H.P.

Versus

General Public . . *Respondent.*

Whereas, Sh. Pawan Kumar s/o Sh. Sadhu Ram, r/o Village Nerti, P.O. Okhroo, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, H.P. has submitted an application alongwith Non-Availability Certificate issued by the Registration Birth & Death, Gram Panchayat Okhroo, Shimla, H.P. in the Court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of Birth of his son Karan Thakur as 19-05-2018 in the record of Registrar, Birth & Death, Gram Panchayat Okhroo, Shimla, H.P. details are as under :—

Sl. No.	Name of the family members	Relation	Date of Birth
1.	Master Karan Thakur	Son	19-05-2018

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the record of Registrar, Birth & Death Gram Panchayat Okhroo, Shimla, H.P. he/she may file their claims/objections in the court on or before one month of Publication of this notice in Government Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 12-11-2025 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vijay Giri (New Name) s/o Padam Singh, Village Arshal, Darbar Balsan (52), Dehabalson, Shimla (H.P.)-171220 declare that I have changed my name from Vijay (Old Name) to Vijay Giri (New Name). All concerned please may note.

VIJAY GIRI
s/o Padam Singh,
Village Arshal, Darbar Balsan (52),
Dehabalson,. Shimla (H.P.)-171220.

CHANGE OF NAME

I, JC-286607X, Sub. Harbans Lal s/o Sh. Dalku Ram, r/o Village & P.O. Balol, Tehsil Baroh, District Kangra (H.P.) declare that my name in my army record is wrongly entered as Harbans Lal. Whereas, my correct name is Harbans Lal Soni. All concerned please may note.

HARBANS LAL
s/o Sh. Dalku Ram,
r/o Village & P.O. Balol,
Tehsil Baroh, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Roopali Arora d/o Sh. Anand Kumar, r/o Shri Sai Niwas, Nala Har Ghuggar, Ward No. 9, Nagar Nigam Palampur, tehsil Palampur, District Kangra (H.P.)-176061 declare that my daughter's correct name is Aaruhi, whereas it has been wrongly written/printed as Aruhi Bagga in some documents. Both names refer to one and the same person of my daughter. Henceforth, she shall be known as Aaruhi for all official and legal purposes.

ROOPALI ARORA
d/o Sh. Anand Kumar,
r/o Shri Sai Niwas, Nala Har Ghuggar,
Ward No. 9, Nagar Nigam Palampur, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kumharu Ram s/o Sh. Nota Ram, r/o V.P.O. Nagwain, Tehsil Aut, District Mandi (H.P.) hereby declare that my correct name in all documents is Kumharu Ram, but it has been incorrectly recorded as Kumaru Ram in my Aadhar Card, I request that it be corrected to Kumharu Ram.

KUMHARU RAM
s/o Sh. Nota Ram,
r/o V.P.O. Nagwain,
Tehsil Aut, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Mitter Dev s/o Sh. Karam Singh, r/o Village Kandyah, P.O. Jugahan, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.) declare that I have changed the my son's name from Shriansh to Shriyansh. All concerned please may note.

MITTER DEV
s/o Sh. Karam Singh,
r/o Village Kandyah, P.O. Jugahan,
Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Jai Lal s/o Sh. Boharu Ram, r/o V.P.O. Malyawar, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) declare that I have changed the my son's name from Sushant to Prince Bhardwaj Sushant and Princ Bhardwaj is same person. All concerned please may note.

JAI LAL
s/o Sh. Boharu Ram,
r/o V.P.O. Malyawar,
Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Harbaksh Singh Atwal s/o Sh. Gurbachan Singh, r/o Ward No. 2, V.P.O. Ghurkari, Tehsil & District Kangra (H.P.) declare that in my service record of PM Shri KV Yol, my name is wrongly entered as Harbaksh Singh. Whereas, my correct name is Harbaksh Singh Atwal. Please note.

HARBAKSH SINGH ATWAL
s/o Sh. Gurbachan Singh,
r/o Ward No. 2, V.P.O. Ghurkari,
Tehsil & District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Atma Ram s/o Sh. Rati Ram, r/o Village Goway, P.O. Dhar Chandna, Tehsil Kupvi, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Atma Ram (Old Name) to Aditya (New Name). All concerned please may note.

Atma Ram
s/o Sh.Rati Ram,
r/o Village Goway, P.O. Dhar Chandna,
Tehsil Kupvi, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Dilpreet Singh s/o Sh. Shish Pal, r/o V. P.O. Bathu, Tehsil Haroli, District Una (H.P.) hereby declare that I have changed my name from Dilpreet to Dilpreet Singh. All concerned please may note.

DILPREET SINGH
s/o Sh. Shish Pal,
r/o V. P.O. Bathu,
Tehsil Haroli, District Una (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ashmit Kachuwa s/o Sh. Thebhu Kachuwa, r/o Auckland School, Servant Quarter, Lakkar Bazar, Shimla (H.P.) declare that I have changed my daughter's name from Pranjal Dcruz (Previous name) to Pranjali Kachhap (New Name). All concerned please may note.

ASHMIT KACHUWA
s/o Sh. Thebhu Kachuwa,
r/o Auckland School,
Servant Quarter, Lakkar Bazar, Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Baliya s/o Sh. Jhukru, r/o Village Suniyadi (Kinu), P.O. Jarwa Juneli (170), Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.)-173027 have changed the name of my minor son Priyanshu Santa (Old Name) to Prinshu Santa (New Name). All concerned please may note.

BALIYA
s/o Sh. Jhukru,
r/o Village Suniyadi (Kinu),
P.O. Jarwa Juneli (170),
Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Zakir Hussain (New name) aged about 46 years s/o Late Bagh Ali, r/o Up Mahal Tarshanoo (74/3), Nerwa, Shimla (H.P.)-171210 declare that I have changed my name from Jakeer Hussain (Previous Name) to Zakir Hussain (New Name). All concerned please may note.

ZAKIR HUSSAIN
s/o Late Bagh Ali,
r/o Up Mahal Tarshanoo (74/3), Nerwa, Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Layak Ram s/o Sh. Lanthru, r/o 44/1, Tehsil Sunni Gharaina (10), P.O. Sunni Bhajji, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Liaq Ram (Old Name) to Layak Ram (New Name). All concerned please may note.

LAYAK RAM
s/o Sh. Lanthru,
r/o 44/1, Tehsil Sunni Gharaina (10),
P.O. Sunni Bhajji, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Nad Klar w/o Sh. Hom Bahadur, r/o 117/2, Bhadrash, Rampur Bushahr, Bhadrash, Duttnagar, Shimla (H.P.)-172001 declare that I have changed my name from Nad Klar (Old Name) to Bimla Devi (New Name). All concerned please may note.

NAD KLAR
w/o Sh. Hom Bahadur,
r/o 117/2, Bhadrash, Rampur Bushahr,
Bhadrash, Duttnagar, Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Urgian Chhomo w/o Late Sonam Angrup, r/o Village Chhinjra, P.O. Bradha, Sub-Tehsil Jari, District Kullu (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Chhomo in my Aadhar Card. Now I intend to correct my name as Urgian Chhomo in Aadhar Card.

URGIAN CHHOMO
w/o Late Sonam Angrup,
r/o Village Chhinjra, P.O. Bradha,
Sub-Tehsil Jari, District Kullu (H.P.).

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 14 नवम्बर, 2025

सख्याः रैव डी (जी) 6–12/2016.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 13 और हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और इन्हें सर्वसाधारण की सामान्य जानकारी के लिए राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित करते हैं;

यदि नियमों की बाबत इस संशोधन द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति के पास कोई आक्षेप या सुझाव हैं, तो वह उसे/उन्हें इस प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002 का भेज सकेगा;

उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप/सुझाव यदि कोई हैं, पर इन नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा, अर्थात् :––

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**——इन नियमों को संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पट्टा (संशोधन) नियम, 2025 है।

2. ये नियम राजपत्र(ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 7 का संशोधन.**——हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 2013 के नियम 7 में, पहले परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:——

"परन्तु राज्य सरकार किसी भी दशा में 40 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर भूमि प्रदान नहीं करेगी सिवाय उस मामले के जहां भूमि का ऐसा पट्टा 80 वर्ष तक की अवधि के लिए हिमुडा के पक्ष में बढ़ाया जा सकेगा।"

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / –
(के0 के0 पंत),
अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।

——————

[Authoritative English Text of this Department's Notification No. Rev-D(G)6-12/2016, dated 14-11-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 14th November, 2025

No. Rev-D (G)6-12/2016.—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (Act No. 18 of 1974) and Section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (Act No. 19 of 1973), the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Lease Rules, 2013 and the same are hereby published in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for general information of the public;

If any person likely to be affected by this amendment has any objection (s) or suggestions(s) to make in respect of these rules, he may send the same to the Addl. Chief Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002 within 30 days from the date of publication of these draft rules in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

Objection (s) or suggestion (s), if any, received within the period specified above, shall be considered by the State Government before finalizing these rules, namely :—

Draft Rules

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Lease (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh

2. Amendment of rule 7.—In Rule 7 of the Himachal Pradesh Lease Rules, 2013 for the first proviso the following shall be substituted namely:—

> "Provided that the State Government shall not, in any case, grant a lease of land for a period exceeding 40 years, except where such lease is granted in favour of HIMUDA, in which case the period extend upto 80 years."

By order,

Sd/-
(K. K. PANT),
Addl. Chief Secretary (Revenue).

सामान्य प्रशासन विभाग
(संसदीय कार्य विभाग)

अधिसूचना

शिमला–171 002, 17 नवम्बर, 2025

संख्याः जी.ए.डी–सी–डी(6)–6/2025.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 14 के साथ पठित धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या जी.ए.डी–सी (पी०ए०)4(डी)–21/88 तारीख 31 अक्तूबर, 2000 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 18 नवम्बर, 2000 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मंत्रियों के यात्रा भत्ता नियम, 2000 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम.**——इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मंत्रियों के यात्रा भत्ता (संशोधन) नियम, 2025 है ।

2. **नियम 4 का संशोधन.**——हिमाचल प्रदेश मंत्रियों के यात्रा भत्ता नियम, 2000 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 4 के उप–नियम (1) के खण्ड (क) में, "अठारह" शब्द के स्थान पर "पच्चीस" शब्द रखा जाएगा ।

3. **नियम 7 का संशोधन.**——उक्त नियमों के नियम 7 में, "एक हजार आठ सौ" शब्दों के स्थान पर "दो हजार पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/–
सचिव (सामान्य प्रशासन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. GAD-C-D(6)-6/2025 dated 17-11-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Parliamentary Affairs Department)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 17th November, 2025

No. GAD-C-D(6)-6/2025.—In exercise of the powers conferred by section 15 read with Section 14 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (Act No. 11 of 2000), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Ministers Travelling Allowance Rules, 2000, notified *vide* this Department Notification No. GAD-C(PA)4(D)-21/88, dated 31-10-2000 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-Ordinary) dated 18-11-2000, namely:—

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Ministers Travelling Allowance (Amendment) Rules, 2025.

2. Amendment of rule 4.—In rule 4 of the Himachal Pradesh Ministers Travelling Allowance Rules, 2000 (hereinafter referred to us the "said rules"), in sub-rule (1), in clause (a), for the word "eighteen", the word "twenty five" shall be substituted.

3. Amendment of rule 7.—In rule 7 of the said rules, for the words "one thousand eight hundred", the words "two thousand five hundred" shall be substituted.

By order

Sd/-
Secretary (GAD).

मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला—5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।